छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>**अपील प्रकरण कमांक 129/2006**</u>

1.	**श्री एन0के0 दुबे,** उप निरीक्षक (अ) विधि–2, पुलिस मुख्यालय, रायपुर	–	**अपीलार्थी**

विरूद्ध

1.	**जन सूचना अधिकारी,** पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर	–	**प्रति अपीलार्थी**

//आदेश//

(दिनांक 10 अगस्त, 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.11.2005 को अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया था । जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 10 जनवरी, 2006 को प्रेषित की गई और आवेदक ने उस जानकारी को असत्य, अपूर्ण, भ्रामक एवं त्रुटि बताकर इसके विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 17.2.2006 को प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपील पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रति अपीलार्थी की ओर से लिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया एवं उक्त अपील के संबंध में दोनो पक्षों की सुनवाई की गई है । अपीलार्थी द्वारा केवल दो बिन्दुओं की जानकारी चाही गई थी । इसके संबंध में प्रति अपीलार्थी का कहना है कि प्रथम बिन्दु पुलिस मुख्यालय, भोपाल से संबंधित था और वहॉं के अधिकारियों द्वारा चाहे गये आदेश प्रति का कमांक और दिनांक पुछा गया था, जो आवेदक से पुछे जाने पर उनके द्वारा अवगत नहीं कराया गया, जिसके लिए आवेदक को दिनांक 21.12.2005 को लिखा गया था । प्रति अपीलार्थी ने आवेदक को अधिकांश अवकाश पर रहने के संबंध में उल्लेख किया है, जिसका इस प्रकरण से कोई सीधा संबंध नहीं है । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को दिनांक 21.12.2005 के पत्र द्वारा जानकारी प्रदान की गई है तथा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास भी किया गया है और संभवत: अपीलार्थी के अवकाश पर रहने के कारण जानकारी विलंब से मिली है । अत: विलंब हेतु जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उपयुक्त नहीं होगा । आवेदक यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि उन्हें प्रदाय की गई जानकारी त्रुटिपूर्ण है । जहॉं तक

पुलिस मुख्यालय, भोपाल की जानकारी का संबंध है अपीलार्थी का यह कर्तव्य है कि वे स्पष्ट जानकारी जन सूचना अधिकारी को दे ताकि वे पुलिस मुख्यालय, भोपाल से वांछित जानकारी प्राप्त करके आवेदक को प्रदान कर सके । प्रकरण में यदि आवेदक आदेश दिनांक इत्यादि लम्बा समय होने के कारण नहीं दे पाते है तो उन्होंने रजिस्टर इत्यादि का उल्लेख किया है, उसमें से चेक करके आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी पुलिस मुख्यालय, भोपाल से प्राप्त करने का एक बार प्रयास किया जा सकता है । अत: अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक से तीन दिवस में जानकारी प्राप्त करके एक माह के अन्दर पुलिस मुख्यालय, भोपाल से शेष जानकारी प्राप्त कर उन्हें नि:शुल्क प्रदान करें ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त